भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1298

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

बॉन्ड बाजार

1298. श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः

श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बॉन्ड बाजार के विकास के लिए सभी विनियामकों द्वारा बहुत ध्यान दिए जाने और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है तथा यदि हां, तो यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विदेशी मुद्राओं में 'सॉवरिन बॉन्ड' जारी करने के संबंध में बजट में की गई घोषणा की स्थिति क्या है और उक्त बॉन्ड जारी करने की प्रस्तावित तिथि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यवसाय करने को सुगम बनाने संबंधी रैंकिंग 2019 के अंतर्गत अनुबंध प्रवर्तन कोटि में भारत के 163वीं रैंक हासिल करने का संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुबंध प्रवर्तन कोटि के अंतर्गत भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हां, बॉन्ड बाजार के विकास के लिए सभी विनियामकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण अपेक्षित होता है। बॉन्ड बाजार में मुख्य रूप से दो खंडः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित सरकारी बॉन्ड और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित कार्पोरेट बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, दोनों ही बाजार बॉन्डों के निर्गम और व्यापार के लिए दूसरे विनियामकों द्वारा विनियमित व्यापार प्लेटफार्मों, निक्षेपागारों और समाशोधन निकायों जैसी अवसंरचनाओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार किए जाने की अनुमति है। इसके अलावा, कार्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में पेंशन निधियों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों, बैंकों आदि जैसे संबंधित निकायों के लिए पहुंच और निवेश संबंधी शर्तों को उनके अपने-अपने विनियामकों जैसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। कार्पोरेट बॉन्डों के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रक विनियामकों के निकट समन्वय से उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नवत सूचीबद्ध हैं:

क) भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा कार्पोरेट बॉन्डों संबंधी रेपो बाजार का विकास;

ख) कतिपय रेटिंग ग्रेड और उससे ऊपर के कार्पोरेट बॉन्डों में निवेश करने के लिए उनके विनियमित निकायों को अनुमति देने वाले विभिन्न क्षेत्रक विनियामक;

ग) भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा विनियमित निक्षेपागारों की अन्तः-प्रचालनीयता;

घ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) बाजार का विकास जो कार्पोरेट बॉन्डों को क्रेडिट जोखिम आदि के बेहतर प्रबंधन में समर्थ बनाएगा।

(ख): बजट भाषण, 2019-20, (05 जुलाई, 2019) में माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकार विदेशी मुद्राओं में विदेशी बाजार में अपने सकल उधार कार्यक्रम के एक भाग को जुटाने का कार्य प्रारंभ करेगी। इसके प्रशासनिक, प्रक्रियागत और विधिक तथ्यों को निर्गमन की कोई तारीख निर्धारित करने से पहले विस्तारपूर्वक तैयार किए जाने की आवश्यकता होगी।

(ग): जी हां, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑन *डूइंग बिजनेस, 2019* की रिपोर्ट के अनुसार 'अनुबंध प्रवर्तन' की कोटि में भारत का रैंक 163वां है।

(घ): जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों की आर्थिक अधिकारिता को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए किए जाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को संशोधित कर दिया गया है। दिल्ली में 22 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों और मुंबई में 16 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के सृजन का अनुमोदन कर दिया गया है।

****